


कार्यालय महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन कैथल।

विज्ञप्ति

शिक्षु अधिनियम 1961 के अर्न्तगत निम्नलिखित शिक्षुओं का चयन करने की योजना है। चयनित शिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्यकाल एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुक अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। शिक्षुओं का विवरण ट्रेड वाईज निम्न अनुसार है:-

Sr. NO.	Trade	Total Seat
1	Mechanic Motor Vehicle	13
2	Diesel Mechanic	4
3	Battery Repairer	2
4	Electrician	6
5	Carpenter	2
6	Tyreman	2
7	Store Keeper	3
8	Black Smith	3
9	Turner	1
10	Hindi Typist	2
	Total	38

इच्छुक योग्य शिक्षुक उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन उपरोक्त ट्रेड हेतु आन लाईन वेबसाईट (<http://www.apprenticeship.gov.in>) पर दिनांक 30.07.19 से 05.08.19 तक सांय 05:00 बजे तक Apply कर सकते हैं तथा आन लाईन Apply करने के बाद उम्मीदवार द्वारा कार्यालय, महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन कैथल में अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति भी जमा करवाना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार OnlineApply करने के बाद अपने मूल प्रमाण पत्र की फोटो प्रति कार्यालय में जमा नहीं करवाता तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा। अन्तिम तिथि 05.08.19 को सांय 05:00 बजे के बाद Apprenticeship पोर्टल को बन्द कर दिया जायेगा व इसके बाद का कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा।


महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल।
